तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो किस हु… तामील में ज…
7/01/26	पत्रावली पेश हुई। बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस के बिन्दुओं पर गंभीरता से मनन किया गया। पत्रावली पर विद्यमान दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। बटवारे का दावा होने एवं उभयपक्ष सहखातेदार दर्ज होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे बनता है। विवादित सम्पत्ति को वाद के दौरान खुर्द-बुर्द एवं बेचान से वाद की बहुलता और जटिलता मे वृद्धि होने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की प्रबल संभावनाए है सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि प्रार्थना-पत्र मे वर्णित विवादित अराजी ग्राम दुर्जनपुरा पटवार हल्का दुर्जनपुरा तह. पीपल्दा जिला कोटा ख.न. 68 रकबा 4.02 हे., ख.न. 70 रकबा 4.70 हे. कुल किता-2, कुल रकबा 8.72 हे. पर अप्रार्थीगण राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा यह अस्थाई निषेधाज्ञा मूलवाद के फैसल तक प्रभावी रहे। प्रार्थना-पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	